Identification of Freedom Fighters for Grant of Pension

1518. SHRI SHARDA MOHANTY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are several freedom fighters in the country who are not getting any pension from Government;

(b) if so, the steps taken to identify such people and also grant pension for those freedom fighters; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) The freedom fighters who apply for grant of pension and fulfil the requirements as laid down under the scheme are sanctioned pension. However, many freedom fighters may not have applied for grant of pension under the scheme.

(b) and (c) There is no scheme to identify the freedom fighters and to grant pension. However, in 287 cases Government has granted pension suo motu.

Running of Broad-Gauge Trains between Ahmedabad to Delhi via Anand and Godhra

1519. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI G. G. SWELL:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that broad gauge trains are not running from Ahmedabad to Delhi via Anand and Godhra broad-gauge track;

(b) whether it is also a fact that via Anand-Godhra track distance between Delhi and Ahmedabad gets shorter compared to Ahmedabad Delhi via Baroda by approximately 50 Kms.; and

(c) whether in view of anticipated suspension of superfast trains due to conversion from Metre Gauge to Broad-Gauge track the new train from Ahmedabad via Anand-Godhra would be launched?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) It is shorter by 29 Kms.

(c) There is no such plan at present.

आन्तरिक सुरक्षा को खतरे से संबंधित समाचार

1520. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1995 के दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इन्टरनल सिक्योरिटी इन डेन्जर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कतिपय तत्वों की मिलीभगत से तस्करी तथा हवाला के माध्यम से देश में 55,000 करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं जिनका उपयोग देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जा सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त अवैध स्त्रोतों पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक सुधार के उपाय किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) हालांकि तस्करी और अन्य गैर कानूनी माध्यमों से सिस्टम में बड़ी मात्रा में धन लगाने के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें मिली हैं, लेकिन सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) बम्बई बम विस्फोट की घटनाओं के बाद और उसके बाद यह पता लगने पर कि देश में बड़ी मात्रा में शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी की गई है, तस्करी की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से तटवर्ती क्षेत्रों में सभी कार्रवाईयों का समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। गहरे समुद्र में और तट के साथ-साथ गहन गश्त लगाने के लिए नौसेना, तटरक्षकों और सीमा शुल्क को उपयुक्त हिदायतें भी जारी की गई हैं।